## वार्षिक सत्यापन की अंतिम तिथी 31 मई

**करौली** (नि.स.)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक पवन कुमार गुप्ता ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन सभी पात्र लाभार्थियों का वार्षिक सत्यापन 31 मई 2024 तक पूर्ण करवाया जाना है। सत्यापन के अभाव मे पेंशनर्स के भुगतान को रोका जा सकता है। सहायक निदेशक ने बताया कि अब तक करौली जिले मे 88.16 प्रतिशत पेंशनर्स द्वारा वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाया जा चुका है

शेंष पेंशनर्स लाभार्थी का सत्यापन शेष है।ऐसे लाभार्थी निकटतम ईमित्र पर जाकर या राजएसएसपी, फेस आईडी एप के माध्यम से वार्षिक सत्यापन करवाये। उन्होने बताया कि पेंशनरों के फिंगर प्रिंट नही आने की स्थिति मे पेंशन स्वीकृति अधिकारी द्वारा पेंशनर का आधार, जनाधर अपलोड कर पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन करवाया जा सकता है।उन्होने बताया कि अधिक जानकारी के लिये कमरा नं. 14 कलेक्टेट परिसर मे भी संपर्क कर सकते है।

# जिला कलेक्टर ने किया मनरेगा कार्यों का निरीक्षण

**धौलपुर।** धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने मंगलवार को उपखंड बाड़ी के बैनपुरा और कांसपुरा में महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण

> ■ **कैला कॉलोनी में पेयजल की समस्या निराकरण केनिर्देश दिए**
>
> **निरीक्षण के दौरान श्रमिकों की हाजिरी तथा उनके अनुरूप उपस्थिति की भी जांच की गई।**

के दौरान उन्होंने श्रमिकों लिए पर्याप्त छाया तथा पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने श्रमिकों से भुगतान एवं कार्यस्थल पर प्राथमिक उपचार किट के बारे में जानकारी ली।

निरीक्षण के दौरान श्रमिकों की हाजिरी तथा उनके अनुरूप उपस्थिति की भी जांच की गई। उन्होंने निर्धारित टास्क के अनुसार श्रमिकों को कार्य देने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने खादर में सड़क निर्माण कार्य का भी अवलोकन किया। सड़क एक ही परत की बनी हुई थी जिस पर उन्होंने सड़क पर एक और लेयर बनाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उप स्वास्थ्य केंद्र बैनपुरा के नवीन भवन में भूसा तथा गेहूं भरा हुआ पाया गया। जिसको तत्काल खाली करवाने के लिए जिला कलक्टर ने निर्देश दिए।इसके साथ ही कैला कॉलोनी धौलपुर में पेयजल की समस्या के निराकरण के लिए जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी ने मंगलवार अल सुबह मौके पर जाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

**जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बैनपुरा और कांसपुरा में महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया।**

## जमीनी विवाद में की भाई की हत्या

**भरतपुर ( निस )।** पहाडी थाना क्षेत्र के गांव जसौति के एक ही परिवार के दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर हुए घमासान में भाई ने ही भाई की हत्या कर दी। वहीं इस मारपीट में तीन अन्य लोगों को गंभीर रूप से चोट आई है। जिनका उपचार जिला आरबीएम अस्पताल में जारी है। मारपीट में घायल परसमराम ने बताया कि उसके बडे भाई हीरा सिंह व मान सिंह जमीन में से मुझे व भाई बच्चू सिंह को कोई हिस्सा नहीं दे रहे थे। जिसे लेकर कई बार समझाइस भी की गई। लेकिन वे लोग मानने को ही तैयार नहीं थे। इसी बात को लेकर पंचायत की गई थी। जिसमें सरपंच ने भी हीरा सिंह व मान सिंह को जमीन के चार हिस्से कर सभी में समान बांटने की बात कही। लेकिन वे लोग मानने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। जिस पर हम लोग वापस गांव लौट रहे थे। तभी मान सिंह व हीरा सिंह व उनके परिवार ने उनको रास्ते में रोक लिया और लाठी डंडो व धारदार हथियार से मारपीट करने लगे। ग्रामीणों ने बीच बचाच कराने का प्रयास किया तो उनको भी धमका कर भगा दिया। ग्रामीणों ने झगडे की सूचना पुलिस को दी पुलिस के आने पर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।

## सार-समाचार

### एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

**रूपवास ।** कस्बे की नगरपालिका के सफाईकर्मियों, ऑटो चालक एवं संविदाकर्मियों ने 6 महीने से वेतन नही मिलने के कारण उपखण्ड कार्यालय पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद पार्षद मिथुन बाल्मीकि के नेतृत्व में एसडीएम के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौपा। एसडीएम के नाम दिए ज्ञापन में बताया गया है। कि सफाई कर्मचारियों को 6 महीने से नगरपालिका द्वारा वेतन नही दिया जा रहा है। वहीं ऑटो चालकों को भी करीब 9 महीने से वेतन नही दिया गया है। वही वेतन नही मिलने के कारण कार्मिकों के घर मे आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। तथा चूल्हा जलाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही सफाई कर्मचारियों ने वेतन नही मिलने की स्थिति में कस्बे में सफाई व्यवस्था को रोक देने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही आंदोलन को और तेज करने की बात कही। इस मौके पर जीतू लोहरिया, विजय जमादार, विनोद कुमार, भप्पे, अर्जुन, विशाल, महेंद्र, पप्पू, अशोक कुमार, नरेश कुमार, अमन, चिंता, प्रीति, आरती समेत अन्य सफाईकर्मी मौजूद थे।

### सर्वसम्मति से हुआ कार्यकारिणी का गठन

**भरतपुर ( निस )।** भरतपुर की एसटीसी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के एस ब्लॉक में स्थित श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर परिसर पर सायं मंदिर व्यवस्थाओं को कारगर एवं सुदृढ बनाने हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें एसटीसी हाउसिंग बोर्ड सहित श्यामनगर, सूरजमल नगर आदि के गणमान्य भक्तजनों ने भाग लिया। इस बैठक में सर्वसम्मति से नवीन पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों का गठन किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वसम्मति से लिये गये निर्णयानुसार मंदिर समिति में अमरचंद, एडवोकेट व पूर्व पार्षद और डा.दयाचंद पचौरी, पूर्व पार्षद को संरक्षक मनोनीत किया गया है जबकि कृष्णकुमार शर्मा, एडवोकेट को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी प्रकार ओमेन्द्रसिंह, भगवानसहाय पाराशर, कपूरचंद शर्मा, महेशचंद शर्मा, नाहरसिंह कुन्तल एवं राहुल शर्मा को सह अध्यक्ष बनाये जाने की घोषणा की गई है। बैठक में लिये गये निर्णयानुसार मुरारी लाल सैनी को श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर समिति का महामंत्री एवं राघवेन्द्रसिंह को सह महामंत्री बनाया गया है। इसी प्रकार बीना शर्मा को मंत्री और नेमीचंद पचौरी व प्रतापसिंह सैंगर को सहमंत्री नियुक्त किया गया है। बैठक में लिये गये निर्णयानुसार समिति की कोषाध्यक्ष गीता देवी होंगी जबकि सह कोषाध्यक्ष लोकेश भारद्वाज एवं पद्मा शर्मा को सांस्कृतिक मंत्री बनाये जाने की घोषणा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के अनुरूप 21 सदस्यों की कार्यकारिणी भी घोषित की गई है। जिसमें राजेश शर्मा, संजीव कुलश्रेष्ठ, भगवानसिंह, खेमचंद शर्मा, पूरनचंद, राममोहन शर्मा, बृजेश चौहान, रविन्द्र सिंह, किशनलाल अरोड़ा, दाउदयाल अग्रवाल, दिनेशचंद गुप्ता, पुष्पादेवी, मीनादेवी, हरेन्द्र शर्मा उर्फ सोनू, अजनेश सिंह चौधरी, टिंकू शर्मा, महेश कुमार शर्मा, केशवदेव पाण्डेय, सोनू श्यामनगर, बनवारीलाल गुप्ता एवं अतर सिंह सैनी शामिल हैं।

### आरोपियों पर इनाम घोषित किया

**करौली ( नि.स. )।** करौली जिले में विभिन्न घटनाओं को अंजाम देने के बाद फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी पर जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से इनाम घोषित किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शंकर लाल के सुपरविजन में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु इनाम घोषित किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि करौली कोतवाली थाने के एक मुकदमे में आबकारी अधिनियम में वांछित अपराधी भूरा उर्फ महेश सिंह पुत्र बाबूलाल गुर्जर निवासी जगतपुरा थाना कुड़गांव जिसके विरुद्ध मारपीट के 6 प्रकरण दर्ज हैं। जिसकी गिरफ्तारी हेतु 15 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा सदर थाना बयाना के दौलत सिंह हत्याकांड मे फरार चल रहे आरोपियों हेतराम उर्फ हेतन गुर्जर पुत्र हरि सिंह एवं योगेंद्र पुत्र रामचरण गुर्जर की गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा महिला थाना करौली में वांछित अभियुक्त अनिल मीणा पुत्र हरकेश मीणा निवासी भावरा थाना बामनवास जिला गंगापुर सिटी,आशीष कुमार मीणा पुत्र राम प्रसाद 22 निवासी भावरा थाना बामनवास के गिरफ्तारी पर 5-5 का इनाम घोषित किया गया है।

### ग्रामीणो ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

**करौली( नि.स. )।** मासलपुर के सकलूपुरा गांव निवासी ग्रामीणों ने करौली कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर जल जीवन मिशन योजना से सकलूपुरा गांव की जाटव बस्ती में जलापूर्ति कराने की मांग की है। इस दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जल जीवन मिशन से पेयजल आपूर्ति नहीं होने के कारण ग्रामीणों को गर्मी के मौसम में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया है कि सकलूपुरा गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत पाइपलाइन बिछी हुई है। जल जीवन मिशन की पाइपलाइन से गांव की कुछ बस्तियों में पेयजल आपूर्ति भी हो रही है। लेकिन जाटव बस्ती पाइप लाइन के द्वारा पेयजल आपूर्ति से अभी तक महरूम है। जिसके चलते बस्ती की महिला और बच्चे 2 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराया लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ। गर्मी शुरू होते ही बस्ती में पेयजल संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर शीघ्र जल जीवन मिशन योजना की पाइप लाइन से पेयजल आपूर्ति शुरू कराने की मांग की है।

### शॉर्ट सर्किट में लगी आग उपकरण जले

**भरतपुर ( निस )।** सरकूलर रोड स्थित एक भवन के परिसर में लगे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट में लगी आग से भवन में चल रहे बैंक व फर्नीचर के गोदाम के बाहर रखे एसी उपकरण एवं विद्युत सप्लाई जल कर खाक हो गई। हालांकि सही समय पर स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पंहुची दमकल ने आग पर काबू पा लिया। जिससे आग एक्सिस बैंक के अंदर एवं फर्नीचर के गोदाम में नहीं पंहुच सकी इससे एक बडा नुकसान टल गया। हालांकि आग लगने से विद्युत सप्लाई ठप्प हो गई। जिसके चलते बैंक में लेन देन का काम नहीं हो सका। बैंक में आने वाले ठााहकों को वापस लौटना पडा। फर्नीचर एवं मेट्रेस का शोरूम संचालक हरिओम ने बताया कि देर रात्रि करीब दो बजे उन्हें फोन पर सूचना मिली कि आपके शौरूम के बाहर आग लगी हुई है। जिस पर मौके पर पंहुचे। वहां पुलिस व दमकल की गाडियां भी जल्द ही वहां आ गई। दमकल की गाडियों ने करीब एक घंटे की मेहनत से आग पर काबू पा लिया। जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। वरना बहुत बडा नुकसान हो सकता था। फिलहाल आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। वहीं विद्युत सप्लाई को बहाल करने एवं ट्रांसफार्मर की मरम्मत का कार्य जारी है।

### दो आरोपियों को गिरफ्तार किया

**भरतपुर ( निस )।** उद्योग नगर थाना पुलिस ने सरसों की बोरी चोरी करने के मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 4 मार्च 2024 को संजय सिंघल पुत्र गोपालचन्द जाति वैष्य सचांलक गोवर्धन ऑयल मिल ब्रज औधोगिक क्षेत्र भरतपुर ने अज्ञात चोरों के विरूद्व ऱात्र में उसकी मिल से सरसों की बोरी को चोरी कर ले जाने का एक मामला थाना उधोगनगर पर दर्ज कराया था। जिस पर एएसआई ललित कुमार मय जाप्ता द्वारा अनुसंधान कर इस मामले के आरोपी बृजमोहन पुत्र शेरसिंह जाति बघेल उम्र 42 साल निवासी पोपीवास थाना खन्दोली जिला आगरा व दिलीप पुत्र हाकिमसिंह जाति बघेल उम्र 26 साल निवासी कुथकुला थाना अछनेरा यूपी को गिरफ्तार कर आरोपियों से गहनतापूर्वक पूछताछ जारी है। ज्ञात रहे कि इस मामले में पूर्व में ही आरोपी धर्मसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति बघेल को गिरफतार किया गया है।

## पालनहार का वार्षिक सत्यापन 31 मई तक

**करौली** (नि.स.)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक पवन कुमार गुप्ता ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पालनहार योजनान्तर्गत पात्र बच्चों का शैक्षिणक सत्र 2023-24 मे निर्धारित समयावधि 30 अप्रेल 2024 तक वार्षिक सत्यापन नही करवाये जाने के कारण अस्थाई रूप से निरस्त होने वाले आवेदन पत्रों का सत्यापन करवाने के लिये निर्धारित समयावधि मे छूट प्रदान की गई है।

उन्होने बताया कि अब पात्र लाभार्थी 31 मई 2024 तक वार्षिक सत्यापन करवा सकते है। सहायक निदेशक ने बताया कि जिन लाभार्थियों ने अभी तक शैक्षिणक सत्र 2023-24 का वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है ऐसे लाभार्थियों का भुगतान नही करवाया जा सकेगा।

उन्होने बताया कि अब तक करौली जिले मे 327 पालनहार जिनके 478 बच्चों का पालनहार का वार्षिक सत्यापन शेष है। वे सभी अपने निकटतम ईमित्र पर जाकर उनका वार्षिक सत्यापन करवाये।इसके अलावा उन्होने बताया कि जिनके बच्चों की उम्र 18 साल से अधिक हो गई है

जिसके कारण उनके अन्य बच्चों का भी वार्षिक सत्यापन नही हो पा रहा है। ऐसे बच्चों का योजना से नाम हटवाने के लिये जिला कार्यालय मे तुरंत संपर्क करें ताकि बाकी बच्चों का वार्षिक सत्यापन किया जाकर उनके भुगतान की कार्यवाही की जाकर उन्हे लाभान्वित किया जा के।उन्होने बताया कि अधिक जानकारी के लिये कमरा नं. 14 कलेक्टेट परिसर मे भी संपर्क कर सकते है।

## आयुक्त ने दौरा कर दिये जरूरी दिशा-निर्देश

**भरतपुर ( निस )।** नगर निगम आयुक्त रिछपाल सिंह बुरड़क ने मंगलवार को सुबह वार्ड नंबर 44 का दौरा किया गया। आयुक्त ने वार्ड में सफाई व्यवस्था, नाले, नालियां, सड़क के किनारे अनावश्यक पेड़-पौधे आदि के बारे में जानकारी ली। आयुक्त के साथ स्थानीय पार्षद एवं नेता प्रतिपक्ष रूपेन्द्र सिंह मौजूद रहे। आयुक्त ने सड़क के किनारे पड़े मिट्टी, गिट्टी व अन्य सामान को हटाने के निर्देश दिये। सफाई व्यवस्था एवं नालियों की समुचित सफाई आदि के बारे में सफाई निरीक्षक को तुरंत प्रभाव से कार्य करने के लिए पाबंद किया है। आयुक्त रिछपाल सिंह बुरड़क ने बताया कि वार्ड नंबर 44 में दौरा कर सफाई व्यवस्था एवं विकास कार्यो के बारे में जानकारी ली है। निरीक्षण के दौरान अतिक्रमण प्रभारी संजय सिंह, सफाई निरीक्षक नरेन्द्र बघेल एवं लायन्स सर्विसेज प्रतिनिधी संजय सिंह आदि मौजूद रहे।

# सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रभावी उन्मूलन के लिए चलाया अभियान

**करौली( नि.स. )।** क्षेत्रीय अधिकारी बलजीत मीणा ने बताया कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, सवाई माधोपुर एवं नगर परिषद करौली की टीमों द्वारा गत दिनों संयुक्त रूप से प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रभावी उन्मूलन हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत प्रवर्तन अभियान चलाया गया।

> ■ **अभियान के दौरान 85 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की गई तथा 11 हजार 350 रू जुर्माना राशि वसूली गई।**

उक्त अभियान के दौरान स्ट्रीट वेंडर्स, स्थानीय दुकानों, थोक बाजारों एवं भीडभाड़ वाले स्थानों पर निरीक्षण किया गया तथा अनुपालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की गई। उक्त अभियान के दौरान 85 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की गई तथा 11 हजार 350 रू जुर्माना राशि वसूली गई। अभियान के दौरान लोगों को जागरूक करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह इस्तेमाल किए जा सकने वाले विकल्पों जैसे कि लकडी की स्टिक से बने ईयर बड्स, स्टील के कप, कुल्हड, पेपर के कप, बांस और लकड़ी से बनी चम्मच, कांटे, प्लेट, कटोरी, दोना पत्तल, तथा जूट के बैग, कागज या कपडे से बने झंडे, गुब्बारे की प्लास्टिक स्टिक के स्थान पर बांस स्टिक, पेपर स्ट्रॉ, स्टील स्ट्रॉ, बांस या सरकंडे से बनी कैंडी और आइसक्रीम स्टिक, 120 माईक्रोन या ज्यादा मोटाई की प्लास्टिक आदि के बारे में बताया गया। क्षेत्रीय अधिकारी ने अवगत कराया कि भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई, 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

प्रतिबंधित वस्तुओं में थर्माकॉल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, टे, मिठाई के डिब्बो एवं निमंत्रण कार्ड पर लगाई जाने वाली फिल्म, गुब्बारे की छडे, आइस्क्रीम और कैंडी की प्लास्टिक से बनी स्टिक तथा 100 माईक्रोन से कम के पी.वी.सी. बैनर्स शामिल है। अतः सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पो का इस्तेमाल करके पर्यावरण को बेहतर बनाने में आमजन अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

# ट्रक मोटरसाइकिल की टक्कर में महिला की मौत

**करौली( नि.स. )।** करौली-सरमथुरा सडक मार्ग स्थित एनएच-23 पर दीपपुरा पेट्रोल पंप के पास एक तेज

> ■ **दुर्घटना से गुस्साए लोगों ने एनएच-23 पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया।**

रफ्तार ट्रक ने मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी। दुर्घटना में मोटरसाईकिल सवार एक महिला की मौत हो गई। दुर्घटना से गुस्साए लोगों ने एनएच-23 पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंची करौली सदर थाना पुलिस ने समझाइश कर जाम खुलवाया और मृत महिला का शव अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया। जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। करौली सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।

**करौली अस्पताल मे महिला की मौत के बाद विलाप करते परिजन।**

करौली सदर थाना अधिकारी योगेंद्र शर्मा ने बताया कि अंगूरी देवी पत्नी नरोत्तम 70 निवासी गोलरी थाना पहाड़गढ़ जिला मुरैना मध्य प्रदेश अपने पीहर छाबर गांव आई थी। दोपहर में वो अपने परिजन के साथ मोटरसाईकिल पर बैठकर करौली जा रही थी। इस दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी। जिससे महिला सड़क पर गिर गई। महिला ट्रक के पिछले पहिए के नीचे आने के कारण बुरी तरह कुचल गई और मौके पर मौत हो गई।

घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा कर प्रदर्शन किया। सूचना पर करौली पुलिस उपाधीक्षक अनुज शुभम,सदर थाना अधिकारी सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और समझाइश की। पुलिस ने समझाइश कर जाम खुलवाया तथा यातायात सुचारु कराया। इसके बाद मृतका का शव करौली अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया। मृतका के परिजनों के करौली पहुंचने पर पोस्टमार्टम कराया गया। सदर थाना पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।

## उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति अंतिम तिथि 20 मई

**करौली( नि.स. )।** सामाजिक न्याय अधिकारिता विभागउत्तर मैट्रिक छात्रवृति अंतिम तिथी 20 मई की सहायक निदेशक पवन कुमार गुप्ता ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत विद्यार्थी एवं संस्थान स्तर पर सत्र 2022-23 व 2023-24 की अवधि के लंबित एवं आक्षेपित आवेदनों की संख्या लगातार बढती जा रही है एवं वर्तमान मे सत्र 2022-23 मे 5070 एवं 2023-24 मे 9753 आवेदन लंबित है।

> ■ **वर्तमान मे सत्र 5070 आवेदन लंबित है**

उन्होने सभी शिक्षण संस्थानों को बताया कि लंबित एवं आक्षेपित आवेदनों को 20 मई 2024 तक आक्षेपपूर्ति करवाकर समस्त आवेदनों को निस्तारित करते हुए जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग करौली को प्रेषित करें उन्होने बताया कि योजना मे लंबित आवेदन पत्रों को कार्यालय मे ऑनलाईन भिजवाने के लिये पूर्व मे कई बार विद्यार्थियों को सूचित किया गया है लेकिन अभी तक विद्यार्थी एवं संस्थान लेवल पर आवेदन लंबित है।

अतः लंबित आवेदनों को 20 मई 2024 तक जिला अधिकारी समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग करौली को भिजवाये अन्यथा विद्यार्थी का आवेदन विद्यार्थी एवं संस्थान स्तर पर अधिक समय तक लंबित एवं आक्षेपित होने की स्थिति मे निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर द्वारा स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा। इस स्थिति मे छात्रवृति प्राप्त नही होने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्थान की होगी।

# पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड व नगर परिषद ने की संयुक्त कार्रवाही

**गंगापुर सिटी ।** स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के निर्देश पर नगर परिषद ने मंगलवार को सवाई माधोपुर से आई टीम के साथ शहर में अवैध प्लास्टिक सामग्री के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सवाई माधोपुर की कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी आकांक्षा शर्मा ने बताया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रभावी उन्मूलन के लिए यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रभावी उन्मूलन के लिए पर्यावरण संक्षरण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत जारी दिशा निर्देशों की पालना में निकाय क्षेत्र गंगापुर सिटी में नगर परिषद एवं क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल सवाई माधोपुर के द्वारा संयुक्त रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान प्लास्टिक का उपयोग, भंडारण और बेचान करते हुए पाए जाने पर उपयोगकर्ता दुकानदारों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं निजी उत्पादको (मैन्यूफैक्चरिंग करने वालों) के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान करीब 400 किलो पॉलीथिन के अलावा प्लास्टिक सामग्री को जब्त कर लिया। साथ ही करीब 7600०० रुपए का जुर्माना वसूल किया। प्लास्टिक के खिलाफ आगे भी इसी तरह कार्रवाई जारी रहेगी और प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग के नियंत्रण, रोकथाम के लिए जब्ती और जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी। शहर में मंगलवार को की गई जब्ती और जुर्माने की कार्रवाई में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सवाई माधोपुर की कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी आकांक्षा शर्मा, एनवॉयरमेंटल इंजीनियर धर्मराज मीना, नगर परिषद आयुक्त रिंकल गुप्ता आदि मौजूद रहे।

**सिंगल यूज प्लास्टिक जप्त करते नगर परिषद जाप्ता।**

# मोबाइल चोरी के चार आरोपियों को गिरफ्तार

**भरतपुर ( निस )।** भरतपुर पुलिस द्वारा मोबाईल छिनाने वालों के विरूद्व बडी कार्यवाही की गई। मोबाईल छिनाने के मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट में प्रयुक्त की गई वाईकों को जब्त करते हुए आरोपियों के कब्जे से चुराये हुये मोबाईल फोनों को बरामद किया गया।

जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर मृदुल कच्छावा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय लालचंद कायल व वृत्ताधिकारी वृत शहर सुनील प्रसाद के सुपरवीजन में थानाधिकारी मथुरागेट करनसिंह व थानाधिकारी कोतवाली रामरूप के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा शहर में मोबाईल छिनाने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफतार कर लूट में प्रयुक्त की गई बाईकों को जब्त कर उनके कब्जे से चुराये हुये मोबाईल फोनों को बरामद किया गया। 13 फरवरी 2024 को रामचरन पुत्र प्रसादीलाल जाति जाट निवासी एसटीसी हासिंग बोर्ड थाना मथुरागेट ने अज्ञात वाईक सवारों के विरूद्व एसटीसी हासिंग बोर्ड कॉलौनी से उसके मोबाईल फोन को छिनाकर ले जाने का एक मामला थाना मथुरागेट पर दर्ज कराया था।

जिस पर धर्मसिंह हैड कानि द्वारा बाद अनुसंधान उक्त मामले के आरोपी अंकित पुत्र रामबाबू उम्र 20 साल जाति जाटव निवासी नगला मिर्चुआ थाना लखनपुर व इन्द्रजीत उर्फ अमन पुत्र थानसिंह उम्र 20 साल जाति जाट निवासी बसईयां कलां थाना लखनपुर को गिरफतार किया गया है। आरोपी के कब्जे से छिनाये हुए मोबाईल को बरामद कर लूट में प्रयुक्त कि गई मोटरसाईकिल को जब्त किया गया है।

इसी प्रकार थाना कोतवाली पर 12 मई 2024 को शुभम पुत्र दिगम्बर जाति जाटव निवासी बृजनगर थाना मथुरागेट ने अज्ञात वाईक सवारों के विरूद्व मुखर्जीनगर पार्क के पास से प्रार्थी के मोबाईल फोन को छिनाकर ले जाने का एक मामला थाना कोतवाली भरतपुर पर दर्ज कराया था। जिस पर एएसआई चन्द्रशेखर ने अनुसंधान कर त्वरित कार्यवाही कर इस मामले के आरोपी गौरव पुत्र कल्लू जाति जाटव उम्र 21 साल निवासी बरघा थाना गहनौली मोड भरतपुर हाल निवासी नुमाईश के पास थाना अटलबंद को गिरफतार कर लूट में प्रयुक्त की गई वाईक को जब्त किया गया है।